कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस नोट
(दिनांक 05.02.2025)
आयुक्तालय जोधपुर

श्री राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु दिनांक 04.02.2025 वक्त 04.00 पी.एम. से दिनांक 05.02.2025 वक्त 04.00 पी.एम. तक 24 घंटे लगातार हथियारबंद सघन नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चैकिंग के दौरान लोकल एक्ट, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध, बंपर लगे वाहनों तथा काला शीशा लगे वाहनों के विरूद्ध एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया।

जोधपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में इस अभियान का सुपरविजन श्री आलोक श्रीवास्तव पुलिस उपायुक्त पूर्व एवं श्री राजर्षि राज वर्मा पुलिस उपायुक्त पश्चिम एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पूर्व व पश्चिम तथा समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में किया जाकर, छः पारियों में चार-चार घंटे सघन वाहनों की चैकिंग, पारी प्रभारी थाने के थानाधिकारी से हैड कांनिस्टेबल तक मय पुलिस बल द्वारा हथियारबंद नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चैकिंग कर लोकल एक्ट, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध 185 एम.वी. एक्ट में, बंपर लगे वाहनों तथा काला शीशा लगे वाहनों के विरूद्ध एम.वी. एक्ट चालान की कार्यवाही करने के आवश्यक निर्देश दिए गए।

वृत सहायक पुलिस आयुक्त गणों द्वारा अपने-अपने वृत क्षेत्र के पुलिस थाना के पुलिस बल को दिए गए टास्क अनुसार अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु ब्रीफ कर 6 पारियों में चार-चार घंटे पारी अनुसार चिन्हित नाकाबंदी प्वाइंटों पर कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

गत 24 घंटे के नाकाबंदी अभियान के तहत जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र के जिला पूर्व व जिला पश्चिम द्वारा कुल - **37** वाहन चालकों के विरुद्ध 185 एम.वी. एक्ट के तहत् एवं **146** काला शीशा लगे वाहनों का, व **233** बंपर लगे वाहनों का एमवी एक्ट में चालान तथा लोकल एक्ट में कुल - **15** जिसमें पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी द्वारा चार, सदर बाजार व सदर कोतवाली द्वारा दो-दो, माता का थान, खांडाफलसा, नागोरी गेट, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, राजीव गांधी नगर, बोरानाडा व विवेक विहार द्वारा एक-एक कार्यवाही की गई। जिला पश्चिम के पुलिस थाना विवेक विहार द्वारा आर्म्स एक्ट में 4/25 के तहत **एक** कार्यवाही की गई।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व व्हाट्सएप नंबर 9530440800 पर सूचित करें।

प्रभारी
पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर।

POLICE
RJ19 GH 4732

CLASSIC
SKG